संख्या:-37/2026/आई-1267907/001-161आ0/23-5002-099-15-2026
(कम्प्यूटर सं0-2030694)

प्रेषक,

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 2026**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक 4059-80-051-11-00-26 "प्रदेश के सर्किट हाउस/निरीक्षण गृहों में जनरेटर की स्थापना(नए कार्य)" के अन्तर्गत 30 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक 4059-80-051-11-00-26 "प्रदेश के सर्किट हाउस/निरीक्षण गृहों में जनरेटर की स्थापना(नए कार्य)" के अन्तर्गत जनपद बरेली, बदायूं, पीलीभीत, गोंडा, शाहजहाँपुर, सीतापुर, बागपत, मेरठ, अमरोहा, फतेहपुर, सहारनपुर, गाजीपुर, एटा महोबा, इटावा एवं कानपुर नगर के 30 कार्यों को कार्यदायी संस्था के रूप में लोक निर्माण विभाग से कराये जाने हेतु प्रस्तावित कुल आगणन लागत धनराशि रू0 181.01 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त के सापेक्ष संपूर्ण धनराशि रू0 181.01 लाख (रू0 एक करोड़ इक्यासी लाख एक हज़ार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित तालिकानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0 का पत्रांक व दिनांक	जनपद	कार्य का नाम	आगणन लागत	निर्गत किये जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6
					(धनराशि रू0 लाख में)
1	821/9 (डी0जी0सेट) बी0पी0-विंग/2026,दिनांक- 09.03.2026	बरेली	जनपद बरेली स्थित निरीक्षण भवन (मुख्य भवन) बरेली में जनरेटर (58.5 के०वी०ए०) की स्थापना का कार्य।	06.53	06.53
2	तदैव	बदायूं	जनपद बदायूं स्थित निरीक्षण भवन बदायूं में जनरेटर (58.5 के०वी०ए०) की स्थापना का कार्य।	06.53	06.53

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3	तदैव	बदायूं	जनपद बदायूं स्थित निरीक्षण भवन बिसौली में जनरेटर (58.5 केएवी०ए०) की स्थापना का कार्य।	06.53	06.53
4	तदैव	बदायूं	जनपद बदायूं स्थित निरीक्षण भवन सहसवान में जनरेटर (58.5 के०वी०ए०) की स्थापना का कार्य।	06.53	06.53
5	तदैव	पीलीभीत	निरीक्षण भवन नौगवां चैराहा, पीलीभीत में जनरेटर (58.5 के० वी०ए०) की स्थापना का कार्य।	06.35	06.35
6	तदैव	पीलीभीत	जनपद पीलीभीत के निरीक्षण भवन बीसलपुर में जनरेटर (7.5) के०वी०ए०) की स्थापना का कार्य।	04.11	04.11
7	तदैव	शाहजहॉपुर	जनपद शाहजहांपुर स्थित निरीक्षण भवन जलालाबाद में जनरेटर (25) के०वी०ए०) की स्थापना का कार्य।	04.72	04.72
8	तदैव	गोंडा	लो०नि०वि० के अन्तर्गत शासकीय भवनों निरीक्षण भवन गोण्डा में जनरेटर (35के०वी०ए०) की स्थापना का कार्य।	04.98	04.98
9	तदैव	गोंडा	लो०नि०वि० के अन्तर्गत निरीक्षण भवन मनकापुर, गोण्डा में जनरेटर (25 के०वी०ए०) की स्थापना का कार्य।	04.55	04.55
10	तदैव	सीतापुर	जनपद सीतापुर स्थित निरीक्षण भवन रामपुर मथुरा में जनरेटर (7.5 के०वी०ए०) की स्थापना का कार्य।	04.92	04.92
11	तदैव	सीतापुर	जनपद सीतापुर स्थित निरीक्षण भवन सीतापुर में जनरेटर (35) के०वी०ए०) की स्थापना का कार्य।	05.77	05.77

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12	तदैव	बाग़पत	जनपद बागपत में निरीक्षण भवन में स्थापित पुराने डी0जी0 सेट के स्थान पर नये 35 के०वी०ए0 डी०जी० सेट (सी०पी०सी०बी0-4) की स्थापना का कार्य।	05.70	05.70
13	तदैव	मेरठ	जनपद मेरठ में स्थित सर्किट हाउस के मुख्य भवन हेतु 125 के0वी0ए0 (सी०पी०सी०बी0-4) जनरेटर की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।	10.88	10.88
14	तदैव	अमरोहा	जनपद अमरोहा के नवनिर्मित विशिष्ट अतिथि गृह (गेस्ट हाउस) में 30 के०वी०ए० (सी०पी० सी०बी0-4) डीजी) सेट की स्थापना का कार्य।	04.85	04.85
15	तदैव	फतेहपुर	जनपद फतेहपुर स्थित निरीक्षण भवन फतेहपुर में 100 के०वी०ए० (सी०पी०सी०बी०-4) जनरेटर की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।	10.33	10.33
16	तदैव	फतेहपुर	जनपद फतेहपुर स्थित निरीक्षण भवन आशापुर में 7.5 के०वी०ए० (सी०पी०सी०बी०-4) जनरेटर की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।	04.95	04.95
17	तदैव	फतेहपुर	जनपद फतेहपुर स्थित निरीक्षण भवन खागा में 15.00 के०वी०ए० (सी०पी०सी०बी०-4) जनरेटर की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।	05.20	05.20
18	तदैव	सहारनपुर	जनपद सहारनपुर स्थित निरीक्षण भवन बादशाहीबाग में 25 के०वी०ए० के जेनरेटर की स्थापना का कार्य।	06.25	06.25

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

19	तदैव	सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में निरीक्षण भवन गंगोह में 25 के0वी0ए0 जेनरेटर सेट की स्थापना का कार्य।	06.21	06.21
20	तदैव	सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में निरीक्षण भवन में मक्काबास में 25 के०वी०ए० जेनरेटर सेट की स्थापना का कार्य।	06.24	06.24
21	तदैव	सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में नवनिर्मित निरीक्षण भवन रामपुर मनिहारन में 40 के०वी०ए० जेनरेटर सेट की स्थापना का कार्य।	08.07	08.07
22	तदैव	सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में निरीक्षण भवन फतेहपुर में 25 के०वी०ए० जेनरेटर सेट की स्थापना का कार्य।	06.29	06.29
23	तदैव	सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में निरीक्षण भवन नकुड़ में 25 के०वी०ए0 जेनरेटर सेट की स्थापना का कार्य।	06.22	06.22
24	तदैव	गाजीपुर	जनपद गाजीपुर जमानिया स्थित निरीक्षण भवन में 10 के०वी०ए० जेनरेटर की स्थापना का कार्य।	03.88	03.88
25	तदैव	बरेली	जनपद बरेली में राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड द्वारा संरक्षित भवन हेतु 25 के०वी०ए० जनरेटर की अवस्थापना का कार्य।	04.67	04.67
26	तदैव	एटा	जनपद एटा के तहसील अलीगंज स्थित निरीक्षण भवन में 30 के०वी०ए० के डी०जी० सेट लगाये जाने का कार्य।	05.48	05.48

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

27	617/9(डी0जी0 सेट) बी0पी0-विंग/2026 दिनांक-28.02.2026	महोबा	निरीक्षण भवन महोबा में 40 के0वी0ए0 इलेक्ट्रिक जनरेटर (डी0जी0 सेट) आपूर्ति एवं फिक्सिंग का कार्य।	07.52	07.52
28	तदैव	इटावा	निरीक्षण भवन सैफई में 62.5 के0वी0ए0 के साइलेन्ट जरनेटर की आपूर्ति का कार्य।	08.35	08.35
29	तदैव	कानपुर नगर	निरीक्षण भवन शिवराजपुर कानपुर नगर में 7.5 के0वी0ए0 के सी0पी0सी0बी0-IV जनरेटर (डी0जी0सेट) की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।	04.20	04.20
30	तदैव	कानपुर नगर	निरीक्षण भवन बिल्हौर कानपुर नगर में 7.5 के0वी0ए0 के सी0पी0सी0बी0-IV जनरेटर (डी0जी0सेट) की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।	04.20	04.20
योग				**181.01**	**181.01**

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1- प्रश्नगत कार्यों हेतु लो0नि0वि0 चयनित कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी।

2- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3- लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जायेगा।

4- प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

5- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय, जिससे कास्ट रन ओवर/टाइम रन ओवर की स्थिति उत्पन्न न हो।

6- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खाते अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

7- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

8- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

10- उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

11- प्रस्तावानुसार स्वीकृत कार्य हेतु आंकलित लागत में सम्मिलित लेबर सेस तथा जी0एस0टी0 आदि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षकों में जमा की जायेगी।

12- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13- समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/ शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

14- विद्युत/यांत्रिक कार्यों हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि को मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा संबंधित विद्युत/यांत्रिक खण्ड को ही आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 1,81,01,000**(रूपये एक करोड़ इक्यासी लाख एक हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 4059800511100 प्रदेश के निरीक्षण भवनों/सर्किट हाउसों में जनरेटर की स्थापना मानक मद 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
शेषनाथ
विशेष सचिव।

संख्या:-37/2026/आई-1267907/001-161आ0(1)/23-5-2026-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी, बजट, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त सम्बंधित जिलाधिकारी।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- समस्त सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(वि0/यॉ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- समस्त सम्बंधित मुख्य अभियन्ता,लो0नि0वि0।
11- समस्त सम्बंधित अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0।
12- समस्त सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
13- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
जूली दुबे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in